[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख.-29 अगस्त, 2022

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के साथ पठित धारा 2 के खंड (31), धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में,-
- (क) नियम 16 में, "कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से संपरीक्षित होगी", शब्दों के पश्चात्, "और उस आशय की घोषणा लेखापरीक्षक द्वारा प्ररूप डीपीटी 3 में प्रस्तुत की जाएगी।" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- (ख) उपाबंध में, प्ररूप डीपीटी 3 और डीपीटी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात:-

"प्ररूप डीपीटी-3

जमा की विवरणी [कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 16 और 16क के अनुसरण में]



प्ररूप की भाषा O अंग्रेजी ० हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें के रूप में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।

*क्या कंपनी सरकारी कंपनी है

5.

कंपनी	स्चना	
1. *	कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	
2.	(क) *कंपनी का नाम	
	(ग) *ई-मेल आईडी	
3.	*प्ररूप का प्रयोजन o जमा की विवरणी	
	o किसी कंपनी द्वारा संव्यवहारों का विवरण जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियन 2014 के नियम 2(1)(ग) के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है।	н,
	o किसी कंपनी द्वारा जमा की विवरणी और संव्यवहारों का विवरण जिसे जमा नहीं मार गया है।	ना
	 कंपनी द्वारा प्रदत्त बकाया धन या ऋण के विवरण का प्रकटीकरण के लिए एकमुश् वापसी, लेकिन कंपनी नियम, 2014 के नियम 2 (1) (ग) के अनुसार जमा के रूप में ना 	त हीं
	माना जाता है।	
4.	*क्या कंपनी है O सार्वजनिक कंपनी O निजी कंपनी	

O हां O नहीं

6.	*कंपनी	के उद्देश्य	
7.	क्या पहि	लक द्वारा जमा को स्वीकृत किया गया?	
8.		नविध जिसके लिए रिटर्न फाइल किया जा रहा है (तारीख/मा	 ह/वर्ष)
		गपन व परिपत्र जारी करने की तारीख (तारीख/माह/वर्ष)	
		ापन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख (तारीख/म	 गह/वर्ष)
9.		की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनुस	
	क्रम सं.	विवरण	रकम (रुपयों में)
	(क) (i)	प्रदत्त शेयरपूंजी	
	(ii)	मुक्त आरक्षितियां	
	(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	
	(ख) (i)	संकलित हानि	
	(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष	,
	(iii)	उपलब्ध न कराया गया कुल अवमूल्यन	
	(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च	
	(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां	
	(ग)	निवल मूल्य (क) - (ख)	
	(ঘ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी	
		पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर	
		अन्य सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त का 35%)	
10.		भप्रैल को जमाधारकों की कुल संख्या य वर्ष के अंत तक जमा धारकों की कुल संख्या	
11.	जमा का विव	तरण (रूपयों में)	
(क)	01 अप्रैल	को वर्तमान जमा रकम	
(ख)		रान नवीकृत जमा रकम	1000.00 .
		पन स्वीकृत नई जमा रकम	
)प्रतिभूत जम		 -
(i	i)अप्रतिभूत उ	जमा	
(ঘ)	वर्ष के दौर	ान लौटाई गई जमा रकम	
(ਭ.)		में बकाया जमा का शेष	_
12.	(क) जमा	रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया	गया
	(ख) जमा	रकम जो परिपक्व हो गई है और जिसका दावा किया व	 ाया, परंत भगतान नर्ह

किया गया
13. नकद आस्तियों का विवरण
(1) D D =
(क) वितीय वर्ष के अंत में परिपक्व होने वाली जमा रकम और आने वाले आगामी वर्ष में परिपक्व
होने वाली जमा रकम
(ख) नकद आस्तियों में निवेश करने के लिए अपेक्षित राशि
(ग) नकद आस्तियों का विवरण
(ग)(i) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में राशि
(ii) केंद्रीय/राज्य सरकार की विल्लंगमरहित प्रतिभूतियां मूल्य
प्राक्ष्य मूल्य
बाजार मूल्य
(iii) विल्लंगमरिहित न्यास प्रतिभूतियां
प्राक्ष्य मूल्य
बाजार मूल्य
14. प्रभार का विवरण
(क)प्रभारों की संख्या
(ख) सीएचजी-1 / सीएचजी- 9 का एसआरएन प्रभार सृजन के लिए फाइल
15. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसार,
वितीय वर्ष के अंत में कंपनी दवाग राष्ट्रिय में क्या कि सार के किया है। कि वितीय वर्ष के अंत में कंपनी दवाग राष्ट्रिय में
वितीय वर्ष के अंत में, कंपनी द्वारा उस धन या ऋण की प्राप्ति का विवरण जिसे जमा नहीं माना
الاتاد

विवरण		ऋण ः	का विवरण (र	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
	(i)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(vii)	(VIII)
से प्राप्त कोई भी राशि - (i) केन्द्र सरकार; या (ii) राज्य सरकार; या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई भी राशि जिसकी नुनर्भुगतान केंद्र सरकार या राज्य सरकार वारा पारंटीकृत है;								
iii) स्थानीय ाधिकरण प्राप्त ोई भी शि; या								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	5. में)		ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण	
(iv) संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधान-मंडल के अधीन गठित सांविधिक प्राधिकारी से प्राप्त कोई राशि			*						
कोई भी राशि - (i) विदेशी सरकारें; या					2				
(ii) विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंक;				¥			G.		
(iii) बहुपक्षीय वितीय संस्थाएं;						e			
(iv) विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली विकास वितीय									

विवरण		ऋणः	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
संस्थाएं;								
(v) विदेशी निर्यात ऋण एजेंसियां;							2	
(vi) विदेशी सहयोगी;					Đ			
(vii) विदेशी निकाय कारपोरेट;								
(viii) विदेशी नागरिक;						-		
(ix) विदेशी प्राधिकारियों या;								
(x) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के					*			
अध्यधीन भारत के बाहर के नेवासी								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	和	ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
के रूप में प्राप्त कोई भी राशि - (i) किसी भी बैंकिंग कंपनी से ऋण या सुविधा; या								3
(ii) भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी महायक बैंक ने; या	¥							
iii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का 1949 का 0) की गरा 51 के हत केंद्र गरकार वारा वारा विस्चित किंग स्थान से;								8
v) बैंकिंग पनी								

विवरण		ऋणः	का विवरण (स	745	ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित तदनुरूपी नया बैंक; या								
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख-ii) में यथा गरिभाषित महकारी बैंक								

3.

विवरण	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ऋणः	का विवरण (२	**	ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समर से बकाया ऋण
ऋण या वितीय सहायता के रूप में प्राप्त कोई भी राशि से - (i) केन्द्र सरकार द्वारा अधिस्चित सार्वजनिक वितीय संस्थाएं; या								
(ii) कोई भी क्षेत्रीय वितीय संस्था; या								
iii) बीमा फंपनियां; या								
iv) भारतीय रेजर्व बैंक 1धिनियम, 934 1934 का) में यथा रिभाषित नुस्चित								

विवरण		ऋणः	का विवरण (र	ऋ1	ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या अधिसूचना के अनुसार जारी वाणिज्यिक पत्र या किसी अन्य लिखत जारी करने के खिलाफ प्राप्त कोई भी राशि।								
किसी अन्य कंपनी से कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि।								
किसी भी प्रतिभूति के लिए अंशदान के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त और					¥			

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
जिसमें शेयर आवेदन धन या आवंटन लंबित प्रतिभूतियों के आवंटन की दिशा में अग्रिम शामिल है, जब तक कि ऐसी राशि केवल के लिए आवेदन की गई प्रतिभूतियों के आवंटन पर देय राशि के खिलाफ विनियोजित की जाती है।								
किसी ऐसे ट्यक्ति से प्राप्त कोई भी राशि, जो राशि की प्राप्ति के समय, कंपनी का निदेशक या किसी निजी								

विवरण			का विवरण (र	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
निदेशक का	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से
रिश्तेदार था।								
(ए) कंपनी की अमूर्त परिसंपतियों को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची ॥ में निर्दिष्ट किसी भी संपति पर पहले शुल्क के साथ पहले शुल्क या चार्ज विंकंग पारी गस् द्वारा नुरक्षित बांड ग डिबंचर ह मुद्दे ज्वारा जुटाई ।ई कोई भी ।शि; या								
ानिवार्य रूप दस वर्षों भीतर पनी के								

विवरण		ऋणः	का विवरण (र	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
शेयरों में परिवर्तनीय।	ā							
गैर- परिवर्तनीय डिबेंचरों के मुद्दे द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि जो कंपनी की परिसंपतियों पर प्रभार का गठन नहीं करती है और भारतीय मतिभूति भौर वेनिमय गेर्ड द्वारा जाए गए ग्रम् स्टॉक क्सचेंज पर चीबद्ध ती है।								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ૠ	ण की अवधि (व	ार्षों में)		
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
कंपनी के किसी कर्मचारी से प्राप्त कोई भी राशि जो गैर-ब्याज वाले प्रतिभूति जमा की प्रकृति में कंपनी के साथ रोजगार के अनुबंध के तहत अपने वार्षिक वेतन से अधिक नहीं है।	·							
किसी भी गैर-ब्याज वाली राशि प्राप्त और ट्रस्ट में रखी गई। कंपनी के व्यवसाय के दौरान या उसके प्रयोजनों के लिए प्राप्त कोई भी								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक सम्ब से बकाया ऋण
(i) माल की आपूत के लिए अग्रिम के रूप में या सेवाओं के प्रावधान के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार है बशर्त कि इस तरह के अग्रिम को माल की आपूर्ति या सेवाओं के ग्रावधान के खिलाफ ऐसी अग्रिम की								
गरीख से गिन सी मिठ दिनों जे अवधि जे भीतर वेनियोजित केया जाता						-		ii e

विवरण	,	ऋण ः	का विवरण (स	78	ण की अवधि (व	र्षों में)		
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
व्यवस्था के तहत अचल संपति के लिए विचार के संबंध में प्राप्त किसी भी तरीके से जो भी अग्रिम के लिए जिम्मेदार है, बशर्त कि इस तरह की अग्रिम समझौते या व्यवस्था की शर्तों के अनुसार ऐसी संपति के खिलाफ समायोजित की जाती है।								
(iii) माल की आपूत के अनुबंध या सेवाओं के प्रावधान के निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
में।			3 III III I					
(iv) कंपनी (जमाराशियाँ की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के नियम (2) के उप- नियम (1) के उप- नियम (1) के तहत कवर किए गए उत्पादों को छोड़कर पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के तहत								
v) लिखित मरार के मनुसार गरंटी अथवा मनुरक्षण								

विवरण		ऋणः	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
संविदा के रूप में भावी सेवाएं प्रदान करने की विचार करने की दिशा में अग्रिम के रूप में, यदि ऐसी सेवाएं प्रदान करने की अवधि सामान्य व्यवसाय पद्धति के अनुसार प्रचलित या ऐसी सेवा की तारीख से नहीं कम हो, से अधिक नहीं है।								
(vi) किसी क्षेत्रीय विनियामक द्वारा प्राप्त और अनुमत						·.		

v

विवरण			का विवरण (स	海.	ण की अवधि (व	ार्षों में)		
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
अग्रिम के रूप में या केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशों के								
(vii) प्रकाशन की ओर अभिदान के लिए अग्रिम के रूप में, चाहे वह प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक में, ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के विरुद्ध समायोजित केया जाना								
केसी भी प्धार वितीय गंस्थान की गर्त के गनुसरण में गसुरक्षित रुणों के								

×

विवरण	II	ऋण	का विवरण (स	ऋ	ण की अवधि (व	र्षों में)		
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
माध्यम से कंपनी के प्रमोटरों द्वारा लाई गई कोई भी राशि।	. 4.0		-					
अधिनियम की धारा 406 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निधि कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी			· · · · · ·					
चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 4) के तहत चिट के संबंध में सदस्यता के माध्यम से प्राप्त कोई								
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा							-	

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	5. में)		ૠ	ण की अवधि (व	र्षों में)
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
तैयार किए गए नियमों के अनुपालन में किसी भी साम्हिक निवेश योजना के तहत कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी	2							
राशि। किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा प्राप्त पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक की कोई भी राशि,								
नोट (इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या जारी करने की तारीख से पांच साल से अधिक नहीं की अवधि		•						

विवरण		ऋणः	का विवरण (स	. में)	I X	76	ण की अवधि (व	र्षों में)
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
के भीतर चुकाने योग्य) के माध्यम से एक ही किश्त में, किसी								
किसी कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि - (i) वैकल्पिक निवेश निधियां;								
(ii) घरेलू उद्यम पूंजी निधियां				,				9
(iii) अवसंरचना निवेश न्यास;						,		
(iv) रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट;								
(v) भारतीय प्रतिभूति								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	5. में)		ऋण की अवधि (वर्षों में)		
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड	O.			**	,			

16 क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की गई:		
(क) से (एजेंसी का नाम)		
(ख) रेटिंग		
(ग) क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	Y.	
17 + जीएनएल फॉर्म का एसआरएन जिसमें डीपीटी -1 फाइ	ल किया गया है	
18 किसी कंपनी द्वारा प्राप्त बकाया धन या ऋण की कुल कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के 1 जैसा कि नियम 16(ए)(3) में निर्दिष्ट किया गया है		
अनुलग्नक		
(क)ट्रस्ट डीड की कॉपी	अधिकतम 2 MB	जा इल चुनें हिटाना डाउनलोड
(ख) जमाकर्ताओं की सूची (एक्सेल प्रारूप)	अधिकतम 2 MB प्र	गइल चुनें हटाना डाउनलो
(ग) वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो।	अधिकतम 2 MB	हाइल चुनें हटाना डाउनलो
सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा घोषणा		9
में एतद्द्वारा विधिवत प्रमाणित करता हूं कि 'जमाराशियों क सही है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों	ा विवरण' और 'तरल परिसंपतिर के अनुरूप है।	यों के ब्यौरे' में निर्दिष्ट राशि
∗द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षिरित किया जाना		डीएससी बॉक्स
* नाम	a a	
* पदनाम		
 सदस्यता संख्या / अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र 		

घोषणा	
मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या + दिनांकित *	वेषय वस्तु और उसके है। मैं यह भी घोषणा करता
+ द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित किया जा करने के लिए	डीएससी बॉक्स
*पदनाम	
(निदेशक /प्रबंधक/ कंपनी सचिव/ सीएफओ / सीईओ)	
+ निदेशक का डीआईएन या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या सदस्यता का डीआईएन य कंपनी सचिव की संख्या	॥ पैन
	सेव कर जमा
नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूतों के लिए सजा का प्रावधान व	' आकर्षित किया जाता है जो करते हैं।
यह ई-फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइ दिए गए शुद्धता के कथन के आधार पर लिया गया है।	ल पर और कंपनी वाई द्वारा
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-फॉर्म फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
# 1	
ई-फॉर्म फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	

हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

डीएससी बॉक्स

प्ररूप सं. डीपीटी-4

प्रपत्र भाषा

े अंग्रेज़ी 🌑 हिंदी

अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान जमाराशियों के संबंध में विवरण [कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में]

फॉर्म भरने के लिए अनुदेश किट देखें * सभी में चिहिनत सभी फ़ील्ड

कंपनी का विवरण			
1 + कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)			
2 (क) * कंपनी का नाम			
(ख) +पंजीकृत कार्यालय का पता			
(ग) * ईमेल आईडी			
3 + क्या कंपनी	्र सार्वर्जा	नेक कंपनी 🔵 निजी	कंपनी
4 + क्या कंपनी एक सरकारी कंपनी है	0	हाँ 🔘	नहीं
जमा से संबंधी सूचना			
5. इस अधिनियम के प्रारंभ के समय कुल बकाया जमा			
(क)+ राशि (रुपये में)			
(ख) *जमाकर्ताओं की संख्या			
6. कालम 5 पर दिये कुल जमाओं का विवरण निम्नलिखित शीर्षो	के तहत		
विवरण	राशि (रुपये में)		
+ जमा देय है लेकिन भुगतान नहीं किया			
* उस पर देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया			
+ देय जमा लेकिन दावा नहीं किया गया			
+ उस पर देय ब्याज लेकिन दावा नहीं किया गया			
+ जमा अभी तक पुनर्भुगतान के लिए देय नहीं है			

7. + अगले तीन महीनों में पुनर्भुगतान के लिए देय जमा	a .	
8 * पुनर्भुगतान के लिए देय जमाराशियों के पुनर्भुगतान के लिए व	नी गई व्यवस्था	
अनुलग्नक		
(क) + लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें ह्राज्या डाउनलोड
(ख) +जमाकर्ताओं की सूची	अधिकतम 40	फ़ाइल चुनें हिटाना डाउनलोड
(ग) स्वैच्छिक अनुलग्नक - यदि कोई हो तो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल च्नें हाउनलोड
घोषणा		
कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं और इस प्रपत्र नियमों और उसके आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी इस रूप के अनु को छुपाया नहीं गया है.	हस्ताक्षर करने और की विषय वस्तु के	यह घोषित करने के लिए कि संबंध में उसके तहत बनाए गए
 द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित करने के लिए पदनाम 		अस्तिम पानत
(निदेशक/प्रबंधक/सीईओ)/सीएफओ/कंपनी सचिव)		
 निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या डीआईएन या पैन प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्यता 	संख्या	
		सेव जमा करें
टिप्पणीः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्राव क्रमशः झूठे विवरण/प्रमाण पत्र के लिए दण्ड और झूठे साक्ष्यों के लि	धानों की ओर ध्यान . ए दंड का प्रावधान वि	आकृष्ट किया जाता है, जिसमें केया गया है।

यह ईएफओआरएम इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल और कंपनी द्वारा दिए

गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-फॉर्म	सेवा अनुरोध	संख्या (एर	नआरएन)
	दाखिल करने		

		-	

" I

[फा.सं.01/8/2013-सीएल-V (भाग- VI)]

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 256(अ), तारीख 31 मार्च 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे-

- (1) तारीख 6 जून, 2014 की सा.का.नि. 386(अ);
- (2) तारीख 31 मार्च, 2015 की सा.का.नि. 241(अ);
- (3) तारीख 15 सितंबर, 2015 की सा.का.नि. 695(अ);
- (4) तारीख 29 जून, 2016 की सा.का.नि. 639(अ);
- (5) तारीख 11 मई, 2017 की सा.का.नि. 454(अ);
- (6) तारीख 19 सितंबर, 2017 की सा.का.नि. 1172(अ);
- (7) तारीख 5 जुलाई, 2018 की सा.का.नि. 612(अ);
- (8) तारीख 22 जनवरी, 2019 की सा.का.नि. 42(अ);
- (9) तारीख 30 अप्रैल, 2019 की सा.का.नि. 341(अ);
- (10)तारीख 07 सितंबर, 2020 की सा.का.नि. 548(अ) ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the August, 2022.

- G.S.R. (E). In exercise of the powers conferred by clause (31) of section 2, section 73 and section 76 read with sub- sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014,-
- (a) in rule 16, after the words "auditor of the company", the words, letters and figure "and declaration to that effect shall be submitted by the auditor in Form DPT-3" shall be inserted;
- (b) in the Annexure, for Form DPT-3 and Form DPT-4, the following shall be substituted, namely: -



"Form No. DPT-3

Form language

English

Hindi

Return of deposits

[Pursuant to rule 16 and rule 16A of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

		ii ∰	
Refer instruction	kit for filing the form		
All fields marked	l in * are mandatory		
Company Inform	nation		
1 *Corporate Ide	entity Number (CIN)		
2 (a) *Name of t	the Company		
(b) *Registere	ed office address		
(c) *email id			
3 *Purpose of th	ne Form		
Rules, 2014 O Return of D Onetime Re	of transactions by a company not considered as deposit a	onsidered as deposit n received by a company but not co	
4 *Whether the	e company is	O Public Company	O Private Company
5 *Whether the	e company is a government company	○ Yes	O No
6 *Objects of th	ne company		
7 Whether dep	osits have been accepted from public?	○ Yes	O No
8(a) *Period for	r which return is being filed (DD/MM/YYYY)		
(b) Date of issu	e of advertisement or circular (DD/MM/YYYY)		
(c) Date of expi	ry of validity of advertisement or circular (DD/MM/YYYY)		
9 Net Worth as	s per the latest audited balance sheet preceding the date	of the return-	
Sl.No	Particulars	Amount (in Rupees)	
a(i)	Paid up share capital		

SI.No	Particulars	
ii)	Free reserves	
iii)	Securities Premium Account	
b(i)	Accumulated Loss	
(ii)	Balance of deferred revenue expenditure	
(iii)	Accumulated unprovided depreciation	
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expenses	
(v)	Other intangible assets	3
С	Net worth (a) – (b)	
d	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and private companies)	
	number of deposit holders as on 1st April	
(b) Total r	number of deposit holders at the end of financial year	
11 Particula	rs of deposits (In Rupees)	
(a) Amou	unt of existing deposits as at 1st April	
(b) Amou	unt of deposits renewed during the year	
(c) Amou	unt of deposits accepted during the year	
(c)(i) Secu	ured deposits	
(ii) Unsec	ured deposits	
(d) Amo	unt of deposits repaid during the year	
(e) Balar	nce of deposits outstanding at the end of the year	
	unt of deposits that have matured but not claimed	
(b) Amo	unt of deposits that have matured and claimed but not paid	d
13 Particul	lars of liquid assets	
(a) Amo	ount of deposits maturing on or before 31st March next yea	ar
and	d following next year	

c) Details of liquid assets	
(c)(i) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank	
(ii) Unencumbered securities of Central/State Government	
Face Value	
Market Value	
(iii) Unencumbered trust securities	
Face Value	
Market Value	
a D. Hinders of chargo	
4 Particulars of charge	
(a) Number of charges(b) SRN of CHG-1/CHG-9 filed for creation of charge	
	of financial year in terms of

15 Particulars of receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, at the end of financial year, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014

Dorticulars		Detai	ls of loan (in	Ageing of loan (in Years)				
Particulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(II)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount							<u>K. Ari</u>	
received from – (i) the Central Government; or	*		v					7
(ii) a State Government; or any amount received from any other source								

		Detai	ls of loan (in	n INR)		Ageing of loan (in Years)			
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	outstanding for more than 3 years	
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	
	(1)								
whose repayment									
is guaranteed by the Central Government or State Government; or	,								
(iii) any amount received from a local authority; or				t					
(iv) any amount received from statutory authority constituted under an Act of Parliament or a State Legislature Any amount received from —									
(i) Foreign Governments; or									
(ii) Foreign or international banks;					1				
(iii) Multilateral financial institutions;									
(iv) Foreign Governments owned development financial institutions;									
(v) Foreign expor credit agencies;	t					4			

The second second		Dotai	ls of loan (ii	Ageing of loan (in Years)				
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
(vi) Foreign collaborators;								
(vii) Foreign body corporates;								
(viii) Foreign citizens;		= j ₂	TI TI					
(ix) Foreign authorities or;								
(x) Persons residents outside India subject to th provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999)								
Any amount received as - (i) A loan or facilit from any banking company; or	y							
(ii) From the state Bank of India or any of its subsidiary banks; or								
(iii) From a banki institution notific by the Central Government und section 51 of the Banking Regulati Act, 1949 (10 of 1949); or	der on							

		Dotai	ls of loan (in	Agein	g of loan (in Ye	ars)		
Particulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
(iv) A corresponding new bank as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or								
(v) From a cooperative bank as defined in clause (b-ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).								

		Detai	ls of loan (in	ı INR)			ng of Ioan (in Ye	di Sj
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount received as loan or financial assistance from — (i) Public Financial Institutions								
notified by the Central Government; or								,
(ii) Any regional financial institutions; or								
(iii) Insurance companies; or								
(iv) Scheduled Banks as defined in the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934).	n							
Any amount received against issue of commercial paper or any other instruments issue in accordance with the guidelines or notification issue by the Reserve Bank of India.	d h							
Any amount received by the company from a other company.	ny			,				

		<u> </u>	ls of loan (ir	n INR)		Ageir	ng of Ioan (in Ye	ars)
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
i vie da nasa	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Anuamaunt								
Any amount received and held pursuant to an offer made in accordance with the provisions of the Act towards subscription to any securities including share application money or advance towards allotment of securities pending allotment, so long as such amount is appropriated only against the amount due on allotment of securities applied								
for. Any amount received from a person who, at th	e							
time of the receip of the amount, we a director of the company or the relative of the director of a	t		=					
private company (A) Any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by a first	ie							
charge or a charge ranking pari pass with the first charge on any	ge							

		Data	ls of loan (in	n INR)		Ageir	ig of Ioan (in Ye	ars)
Particulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
assets referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets of the company; or								
(B) bonds or debentures compulsorily convertible into shares of the company within				-				
Any amount raised by the issue of non-convertible debentures not constituting a charge on the assets of the company and listed on recognized stock exchange as per applicable regulations made by Securities and Exchange Board of India.								
Any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary under a contract employment with the company in the company in the rest bearing security deposit.	i }							

Opening balance	Additional loan during the year	ils of loan (in Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year (VI)	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years (VII)	Loans outstanding for more than 3 years (VIII)
(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
				0			
					2		5
0							
			2		¥		

n Alaulana	7 7 31	Detai	ls of loan (ii	n INR)			ng of Ioan (in Ye	ars)
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
provided that such advance is adjusted against such property in accordance with the terms of agreement or arrangement.								
(iii) As security deposit for performance of the contract of supply of goods or provision of services.								
(iv) As advance received under long term projects for supply of capital goods except those covered under item (b) of subclause (xii) clause (c) of subrule (1) of rule (2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.								
(v) As an advance towards consideration for providing future services in the form of a warrant or maintenance contract as per			7		~			

Particulars	H.B.O.	Detai	ls of loan (i	n INR)			ng of Ioan (in Ye	ars)
articulais	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
written agreement, if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or five years, from the date of acceptance of such service whichever is less.								
(vi) As advance received and allowed by any sectoral regulator or in accordance with directions of Central or State Government								
(vii) As an advance for subscription towards publication, whether in print or electronic to be adjusted against receipt of such publications.								
Any amount brought in by promoters of the company by way of unsecured loans in pursuance of the stipulation of any lending financial institution.	ו							

Particulars		Deta	ils of loan (i	n INR)		Agei	ng of loan (in Ye	ears)
	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount received by a Nidhi company in accordance with the rules made under section 406 of the Act.	-							
Any amount received by way of subscription in respect of chit under the Chit Funds Act, 1982(4 of 1982).				-				
Any amount received by company under any collective nvestment scheme in compliance with regulations framed by the Securities and Exchange Board of India.					-			ı
Any amount of twenty-five lakh rupees or more received by a startup company, by way of convertible into requity shares or repayable within a period not exceeding five rears from the								
date of issue) in a lingle tranche, from a person.								

Particulars			ils of loan (i	Agei	ng of Ioan (in Ye	ears)		
	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount received by a company from – (i) Alternate Investment Funds;								
(ii) Domestic venture Capital Funds					ls ls			
(iii) Infrastructure Investments Trusts;						* =		
(iv) Real Estate Investment Trusts;				r				
(v) Mutual Funds registered with the Securities and Exchange Board of India		,						
6 Credit Rating obtain	ned:							
(a). From (Name of	the agency)						~	
(b) Rating(c) Date of obtaining	ig credit ratir	ng (DD/MM/Y)	(YY)					
7 *SRN of GNL form in	n which DPT-	1 is filed						
3 Total amounts of ou as deposits in terms as specified in rule 2	of rule 2(1)	noney or loan i	received by panies (Acce	a company but	not considences	ered		

Attachments		
(a) Copy of trust deed	Max 2 MB	Choose File Remove Download
(b) List of depositors (excel format)	Max 2 MB	Choose File Remove Download
(c) Optional attachment, if any.	Max 2 MB	Choose File Remove Download
Declaration by Statutory Auditor		
I hereby duly certify that the amount specified in 'Particular of do the relevant provisions of the Companies Act, 2013.	eposits' and 'Particula	ars of liquid assets' is correct and in line with
*To be digitally signed by		DSC BOX
*Name		
*Designation		
*Membership Number/Certificate of Practice Number		
Declaration		
* to sign this is form and declarules made thereunder in respect of the subject matter of this form declare that all the information given herein above is true, correct material has been suppressed.	rm and matters incide	rements of Companies Act, 2013 and the lental thereto have been complied with. I also iding the attachments to this form and nothing
*To be digitally signed by		DSC BOX
*Designation		
(Director/Manager/Company Secretory/CFO/ CEO)		
*DIN of the director OR DIN or PAN of the manager or CEO or CFC number of the company secretary) OR membership	
×	5	Save
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of statement / certificate and punishment for false evidence respe	the Companies Act,	, 2013 which provide for punishment for false
This eForm has been taken on file maintained by the registrar of statement of correctness given by the company.	companies through	electronic mode and on the basis of
For office use only:		

eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
This eForm is hereby approved or registered	2
This eForm is hereby rejected	
Digital signature of the authorising officer	DSC BOX
Date of signing (DD/MM/YYYY)	
	e e
	*
	*. #
	140



Form No. DPT-4

Form language

प्रत्यमेव जयते	tatement regarding deposits existing on the comm Pursuant to rule 20 of the Companies (Acceptance of	nencement of the Ac of Deposits) Rules, 20	t 14]	Eng	lish	() Hindi
Refer instruction	n kit for filing the form					
	d in * are mandatory					
Particulars of th	e company			38		
1 *Corporate Ide	entity Number (CIN)					
2 (a) *Name of t	he company					
(b) *Registered	d office address			X		
(c) *Email Id						
3 *Whether the	company is	C	Pub	lic Company	0	Private Company
4 *Whether the	company is a government company) Yes		0	No
Deposit related	information					
5 Total denosits	outstanding as on the commencement of this Act					
o rotal deposits	outstanding as on the commencement of this Act					
(a) *Amount	(in Rs.)					
(b) *Number of	of depositors					
6 Details of total	deposits mentioned at 5 above under following I	neads		*		•
Particulars		Amount (in Rs.)	10.11		= 0, 5	
*Deposits o	lue but not paid					
*Interest d	ue thereon but not paid					
*Deposits o	lue but not claimed					
*Interest di	ue thereon but not claimed					
*Deposits r	ot yet due for repayment					
	or repayment in next three months made for repayment of deposits due for repayme	nt				
Attachments				en en		

(a) *Auditor's certificate	Max 2 MB	*Choose File Remove Download
(b) *List of depositors	Max 40 MB	Choose File Remove Download
(c) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose File Remove Download
Declaration		
I am authorised by the Board of Directors of the Company vide re (DD/MM/YYYY) to sign this for 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject macomplied with.	orm and declare that al	dated * Il the requirements of the Companies Act, atters incidental thereto have been
I also declare that all the information given herein above is true, on nothing material has been suppressed.	correct, and complete in	ncluding the attachments to this form and
*To be digitally signed by		DSC BOX
*Designation (Director/Manager/CEO/ CFO/Company secretary)		
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Com	npany secretary	
	2	Save
Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 of statement / certificate and punishment for false evidence respective. This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of statement of correctness given by the company.	ctively.	
For office use only:		
eForm Service request number (SRN)		
eForm filing date (DD/MM/YYYY)		
		".

(Manoj Pandey)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended *vide* notification numbers –

- (1) G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014;
- (2) G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015;
- (3) G.S.R. 695(E), dated the 15th September, 2015;
- (4) G.S.R. 639(E), dated the 29th June, 2016;
- (5) G.S.R. 454(E), dated the 11th May, 2017;
- (6) G.S.R. 1172(E), dated the 19th September, 2017;
- (7) G.S.R. 612(E), dated the 5th July, 2018;
- (8) G.S.R. 42(E), dated the 22th January, 2019;
- (9) G.S.R. 341 (E), dated the 30th April, 2019;
- (10) G.S.R. 548 (E), dated the 07th September, 2020.